आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व्दारा अवगत कराया गया है, देश एवं प्रदेश में हाल में हुई आतंकवादी घटनाओं के विश्लेषण से यह जानकारी मिली है कि इन घटनाओं में आतंकवादियों व्दारा ई–मेल का प्रयोग किया जा रहा है। आतंकवादियों व्दारा ई–मेल करने के लिए जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायिक भवनों/स्थानों जिन्हें साइबर कैफे के रूप में जाना जाता है, का प्रयोग किया जा सकता है। यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ अपराधी/असामाजिक तत्व/आतंकवादी इन सुविधाओं का दुरूपयोग करके जॉच एजेंन्सियों/महत्वपूर्ण व्यक्तियों/स्थानों एवं सरकारी संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाल सकते हैं, जिसमें इन आतंकवादी गतिविधियों से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर प्रभावित होने की सम्भावना हो सकती है।

अतः यह आवश्यक हो गया है कि सम्बन्ध में कड़े कदम उठाये जायें जिससे आतंकवादी गतिविधियों के कारण जो देश की सुरक्षा व्यवस्था एवं जन सामान्य की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, पर अंकुश लगाया जा सके एवं लोक परिशान्ति बनी रहे।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दं0प्र0सं0 की धारा–144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अनिल कुमार सागर, जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर एतद् व्दारा जनपद कानपुर नगर सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायिक भवनों/स्थानों जिन्हें साइबर कैफे के रूप में जाना जाता है, के स्वामियों/प्रबन्धकों/प्रयोगकर्तओं के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु आदेश पारित करता हूँः–

1– जनपद कानपुर नगर में किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक व्दारा किसी भी अंजान व्यक्ति, (जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण जैसे–परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो क्रेडिटकार्ड) या ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइर्बर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।

2– जनपद कानपुर नगर में कोई भी साइबर कैफे समस्त आगंतुक/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जाएगा।

3– जनपद कानपुर नगर के किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक व्दारा सभी आगंतुकों/प्रयोगकर्ताओं से उनके हस्तलेख में नाम, पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण–पत्र अंकित कराए बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा।

4– जनपद कानपुर नगर के किसी भी साइबर कैफे में बिन एक वेव कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगंतुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके, संचालित नहीं किया जायेगा।

5— जनपद कानपुर नगर में साइबर कैफे के स्वामी/संचालक एक्टीविटी सर्वर लाग को मेन सर्वर में कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था के बगैर साइबर कैफे संचालित नहीं कर सकेंगें।

लोक व्यवस्था व लोक प्रशान्ति बनाए रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत यह आदेश पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यदि बीच में वापस न लिया गया जो आज की तिथि 27—8—08 से दिनांक 26—10—08 तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

सर्वसाधारण में इस आदेश का प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रेल रूम की गाड़ियों व्दारा उपयुक्त स्थलों पर लाउड स्पीकर से घोषणा करके किया जायेगा।

आज दिनांक 27—8—08 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

(अनिल कुमार सागर)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

संख्या— 1455/एसटी—08 दिनांक अगस्त 27 ,2008

प्रतिलिपि—

1— आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को अवलोकनार्थ।
2— पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर को सूचनर्थ।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।
4— समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
5— पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी/ग्रामीण/यातायात/अपराध को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
6— नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट को आ0का0हेतु।
7— उप सूचना निदेशक, कानपुर नगर को 05 अतिरिक्त प्रतियो सहित प्रकाशनार्थ एवं प्रसारण हेतु।
8— प्रशासनिक अधिकारी/न्याय सहायक/पूँछतॉछ लिपिक कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर।

(अनिल कुमार सागर)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।